जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

सुरक्षा निर्देशों की अवहेलना एवं बिना सुरक्षा उपकरणों के लाईन पर किया काम तो होगी सख्त कार्यवाही

जयपुर, 20 नवम्बर। विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों के बावजूद भी अधिकारी एवं तकनिकी कर्मचारियों की जल्दबाजी एवं लापरवाही की वजह से हो रही विद्युत दुर्घटनाओं की प्रभावी तरीके से रोकथाम के लिए एक बार फिर विस्तृत सुरक्षा निर्देश जारी किए गए है। इसके तहत विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निर्धारित सुरक्षा निर्देशों की पालना नही करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

जयपुर डिस्कॉम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री भास्कर ए. सावंत ने बताया कि विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जुलाई माह में तकनीकी कर्मचारियों को सुरक्षा ट्रेनिंग देने के साथ ही सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं को भी सितम्बर माह में एक दिन की सुरक्षा ट्रेनिंग वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम दी गई थी।

उन्होंने बताया कि शट डाउन तथा विद्युत उपकरणों व लाईनों की अर्थिंग सम्बन्धी निर्देशों की उचित रुप से पालना एवं सुरक्षा उपकरणों का कार्य के दौरान उपयोग नही करना पाया जाएगा तो सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही सभी सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेगें कि फील्ड में कार्य करने वाले प्रत्येक तकनिकी कर्मचारी के पास आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो तथा सुरक्षा उपकरणों के अभाव में उन्हें कार्य करने के लिए विवश नही किया जाए।

श्री सावंत ने बताया कि जारी किए गए सुरक्षा निर्देशों के तहत विद्युत लाइनों व उपकरणों पर कार्य करते समय सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्रमिकों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरत ली जावे तो कर्मचारियों की विद्युत दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश

- विद्युत लाइनों व उपकरणों पर कार्य से पूर्व लिखित में शटडाउन लेकर ही कार्य करना। 33 केवी. लाईन का सहायक अभियन्ता द्वारा एवं 11 केवी. लाईन का कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा ही शटडाउन लिया जाए तथा उसका इन्द्राज रजिस्टर में किया जाए। सम्बन्धित लाईन एवं उपकरण पर शटडाउन की तख्ती लगाई जाए। हर वोल्टेज को खतरनाक समझें तथा कार्य करते समय सावधानी बरतें। जिन खम्बों पर डबल करन्ट हो वहां पर रिफलेक्टर कलर से चेतावनी लिखना सुनिश्चत करें।
- एल.टी. लाईन पर कार्य करते समय इन्सुलेटेड प्लायर, रबड़ के दस्ताने, सेफ्टी बैल्ट का उपयोग करें। कामगार काम करते समय अंगूठी नही पहने, बाल लम्बें हो तो उनको कैप से ढके और ढीले कपड़े नही पहने। जी.ओं. काटने के पश्चात् जांच कर सुनिश्चित करें कि सभी ब्लैडों में विद्युत विच्छेद हो गया है। कार्य के दौरान मोबाईल का प्रयोग नही करें।

उन्होंने बताया कि आगे भी कर्मचारियों एवं आम जनता को विद्युतजनित हादसों से बचाव के लिए वितरण निगमों द्वारा लगातार प्रयास किए जाएगें, जिससे शून्य विद्युत दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 325/2015